



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

## खण्ड कार्यालय, उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद

आशियाना फेस -1, निकट पानी की टंकी, मुरादाबाद-244001  
(0591)2452913, 3511011 [eell\\_upjn\\_mbd@yahoo.co.in](mailto:eell_upjn_mbd@yahoo.co.in)

पत्रांक  
सेवा में,

970 / ई-९/०७

दिनांक ०८/०८/२०२२

ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम प्रधान  
ग्राम सभा – ग्वारऊ  
विकास खण्ड – विलारी  
जिला मुरादाबाद।

विषय :-

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (सांसद आदर्श ग्राम योजना) के अन्तर्गत निर्माण की गई ग्वारऊ ग्रामीण पाइप पेयजल योजना (अनुमानित लागत रु० 188.20 लाख) के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ग्राम ग्वारऊ, विकास खण्ड विलारी, जनपद मुरादाबाद में एक पेयजल योजना निर्माण की गई है, जो चालू अवस्था में है। योजना के अन्तर्गत ६१८ नग पेयजल गृह संयोजन कराये गये हैं सूची संलग्न। उ०प्र० सरकार के शासनादेश सं० ११३४ / ३८-५-११-५६सम / २०१० ग्राम्य विकास अनुभाग-५, लखनऊ दिनांक २० जून २०११ के अनुसार एकल ग्राम की पेयजल योजना के रख-रखाए से सम्बन्धित समस्त कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किये जायेंगे। योजना हस्तान्तरण के उपरान्त पेयजल गृह संयोजन उपभोक्ताओं से शा०स० ८/१३९४/अङ्गतीस-५-१४-२७सम / २०१२(ए) ग्राम्य विकास अनुभाग-५, लखनऊ दिनांक ३१ अक्टूबर २०१७ के अनुसार रु० ५०.०० प्रति पेयजल संयोजन प्रति माह की दर से जल मूल्य वसूली भी ग्राम पंचायत स्तर से ही की जायेगी। अतः उक्त शासनादेश के क्रम में कृपया पेयजल योजना हस्तगत करने का कष्ट करें।

यहाँ आपको यह भी अवगत कराना है कि हस्तान्तरण के तीन माह तक योजना से कोई तकनीकी कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसको ठीक करने के लिये जल निगम तत्पर रहेगा।

संलग्नक – १. कार्य का विवरण

२. पेयजल गृह संयोजन की सूची
३. सामग्री परीक्षण रिपोर्ट
४. योजना के फोटोग्राफ
५. कम्पलीशन लान

(फराहीम अहमद)

अधिशासी अभियन्ता

प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
२. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, मुरादाबाद।
३. जिला विकास अधिकारी, मुरादाबाद।
४. जिला पंचायत राज अधिकारी, मुरादाबाद।
५. खण्ड विकास अधिकारी, विलारी।
६. श्री एस०क० मानिक, सहायक अभियन्ता/श्री संतोष त्रिवेदी, जूनियर इंजीनियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिशासी अभियन्ता